

डीजीटी-डीएफ / 2 / 2019-O/Oडीआईआर(टीसी)

भारत सरकार  
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय  
प्रशिक्षण महानिदेशालय

प्रथम मंजिल, रोजगार दफतर, पूसा कैम्पस  
नई दिल्ली, दिनांक: 19.09.2019

सेवा में,  
प्रधानाचार्य,  
साई बाबा प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बम्बोर गेट,  
जयपुर रोड, टोंक,  
राजस्थान.

विषय : आई.टी.आई. के ट्रेडों / यूनिट्स की डी-एफिलियेशन की अनुसंशा के बारे जारी 'कारण बताओ नोटिस' ।

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, W-6, गौरव पथ, जोधपुर राजस्थान के पत्र सं क्रमांक:प.स.7(12)/प्र.-1/प्रा.औप्रस./De-Aff./2019/13563 दिनांकित 28.08.2019 के द्वारा जयपुर रोड टोंक, राजस्थान स्थित उक्त प्राइवेट आई.टी.आई को डी-एफिलियेशन करने हेतु अनुसंशा की गई है, प्रतिलिपि संलग्न है ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके आई.टी.आई की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों ना शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय में इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए । किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय-सीमा में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय,



(सुनील कुमार गुप्ता)  
निदेशक (प्रशिक्षण)


संलग्नांक : उपरोक्त अनुसार ।

नोट : यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।


प्रति : 1. निदेशक, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर, W-6 गौरव पथ, जोधपुर, राजस्थान ।

2. एन.सी.वी.टी. संबंधित अधिकारी, इस कारण बताओ नोटिस को एन.सी.वी.टी. एम.आई. एस. पोर्टल में अपलोड करने के लिये ।





भवदीय,



(च. रवि)  
सं.निदेशक(प्रशिक्षण)